

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)

प्रखसं- 44753/2020

13-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें	<p>.....की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है ।</p>
-----	---	--

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक, द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की संस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियां दी जानी चाहिए)

तारीख - 30/12/22
स्थान-लखनऊ

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
नाम एवं पदनाम
U.P. Lucknow
सरकारी मोहर